bdkbZ 3 lkekftd :ikUrj.k dk voyksdu

:ijs[kk

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 शिक्षा और संविधान के मध्य सम्बन्ध

3.4 संविधान की प्रस्तावना

3.5 भारतीय दृष्टिकोण

- 3.5.1 साम्राज्यवाद–विरोधी विरासत
- 3.5.2 सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन
- 3.5.3 राष्ट्रवादी कार्यक्रम

3.6 राष्ट्रवादी कार्यक्रम के सारभाग के रूप में अधिकार

- 3.6.1 समाजवाद का प्रभाव
- 3.6.2 गरीबी से राहत और योजना
- 3.6.3 वामपंथी समूहों की भूमिका
- 3.6.4 जाति दमन का विरोध

3.7 वैचारिक सीमाएँ

- 3.7.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रेणी स्वरूप
- 3.7.2 राजनीति पर बल

3.8 कांग्रेस की सर्वसम्मति

- 3.8.1 संसदीय परंपरा
- 3.8.2 संघवाद
- 3.8.3 कल्याणवाद

3.9 सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम का प्रकटन

- 3.9.1 रणनीति
- 3.9.2 विशिष्ट उद्देश्य

3.10 संविधान के उद्देश्यों पर कांग्रेस का संकल्प

3.11 संविधान सभा का "उद्देश्य संकल्प"

3.12 संरचनात्मक सीमाएँ

3.13 शिक्षा और सांविधानिक दृष्टिकोण का अंतरण

3.14 सारांश

3.15 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

3.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

3-1 ÁLrkouk

संविधान का उस तरीके पर आधारभूत प्रभाव होता है जिसमें हम अपने देश में शिक्षा संरचना और वितरण करते हैं। संविधान द्वारा निर्धारित बहुत–सी सीमाओं के परिणाम विद्यालय के प्रावधानों के अस्तित्व और व्यावहारिकता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुए हैं। राष्ट्रीय विकास, अनेकत्व और भेदभावरोध की सांविधानिक अंतःदृष्टि का अनुसरण करते समय विद्यालयी सुविधा के लिए समान अवसरों का सृजन हमारे नीति निर्माताओं के लिए चुनौती सिद्ध हुई है। ठीक जेसे संविधान और उसके प्रवर्तन ने शिक्षा के वितरण को प्रभावित किया है, कुछ प्रभावों ने उस तरीके को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसे संविधान ने विकसित किया है (*उन्नीकृष्णन जे.पी.* बनाम *आंध्र प्रदेश राज्य*)।

भारत का संविधान न केवल विश्व का विशालतम संविधान है, बल्कि यह संप्रभुता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के भविष्य के लिए महान अंतःदृष्टि प्रतिबिम्बित करता है, जहाँ न्याय, स्वतंत्रता और समानता राष्ट्र की एकता और अखंडता का मार्गदर्शन करेंगे। इस इकाई में हम दृष्टांत के लिए उन विचारों और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया है। यह शिक्षा में हमारी नीतियों और हमारे सांविधानिक उद्देश्यों के मध्य सम्बन्ध के स्वरूप का विश्लेषण करने में हमारी सहायता करेगा। इससे हम समझ सकेंगे कि शिक्षा, संविधान से उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों से उत्पन्न होती है और समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, सामाजिक सम्बद्धता आदि जैसे मूल्यों के संवर्धन का साधन होती है।

3-2 mís';

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की सामाजिक परिवर्तन का अन्तःदृष्टि था। समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा ने भारत के संविधान में इस अवलोकन का समावेश किया। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आपः

- भारतीय संविधान का दृष्टिकोण, दर्शन और मूल्यों को समझ सकेंगे;
- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के विचारों और स्वप्नों तथा संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे;
- शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा सांविधानिक मूल्यों के मध्य सम्बन्ध के स्वरूप का विश्लेषण कर सकेंगे; और
- संविधान द्वारा निर्धारित ढाँचे की तुलना में, शिक्षा नीतियों के मुख्य सिद्धांतों का विश्लेषण और आंकलन कर सकेंगे।

3-3 f'k{kk vkSj lafoèkku ds eè; lEcUèk

शिक्षा उस तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करती है, जिससे हम अपनी सांविधानिक प्रणाली के आधारभूत प्रावधानों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को उसके सारभाग में देखते हैं और व्याख्या करते हैं। संविधान का समान रूप से प्रभाव है कि, किन्हें और कैसे, हम विषयवस्तु और रूप दोनों में शिक्षा दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश के रूप में, हमारी शिक्षा रणनीति और सुधार संविधान द्वारा निर्धारित मानदंडों से अंगीकृत और आंकलित किए जाते हैं। दूसरी ओर, संविधान नीति निर्माताओं के उस ढाँचे के अंतर्गत आगे बढ़ता है, और विकास करता है, जिसे वे तैयार करते हैं और प्रयोग करते हैं। शिक्षा और संविधान के मध्य सम्बन्ध के स्वरूप का विश्लेषण करना बहुत ही रोचक है। सार्वजनिक शिक्षा

संदर्भ और आधारभूत सांविधानिक सिद्धांतों के विकास के मध्य अंतःक्रिया न केवल विद्यालय की सीमा के अंदर प्रयोज्य हैं, बल्कि विद्यालय के संदर्भ के बाहर भी हैं। दूसरा आयाम जो स्पष्ट और अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या है, वह इससे भी सम्बद्ध है कि संविधान कैसे विकसित किया गया और प्रयुक्त किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में हम सार्वजनिक शिक्षा और संविधान के मध्य निकटतम सम्बन्ध देख सकते हैं। संविधान अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है कि, राज्य इस चुनौती का सामना करने के लिए और अपनी सांविधानिक वचनबद्धता पूरी करने के लिए बच्चों और उनके मातापिता से अंतःक्रिया करें।

संविधान उन सभी बच्चों को समान और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा रणनीतियों के विकास को भी प्रभावित करता है, जिनकी लगातार संवीक्षा करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा में कोई भी नीति या पद्धति सांविधानिक संवीक्षा के अध्यधीन है और स्वीकार्यता के मानदंड, संविधान की शर्तों से निर्धारित होंगे। नीति विकल्प जिन्हें प्रतिबिम्बित किया जाता है कि, हम क्या है और राष्ट्र के रूप में हम क्या होना चाहते हैं।

3-4 lfoèkku dh ÁLrkouk

हम इस भाग को यह समझने के प्रयास से आरंभ करेंगे कि संविधान क्या है और भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। इस प्रक्रिया में हम यह समझेंगे कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया और विगत के प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए, न्यायसंगत और सम्मानित भविष्य के लिए मार्ग दिखाते हुए ढाँचे में भिन्न–भिन्न तत्वों को कैसे अंतःस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, संविधान का विवेचन करना और यह विश्लेषण करना एवं इसने ढाँचा या व्यापक दिशा–निर्देश कैसे निर्धारित किए हैं, जानना महत्वपूर्ण है।

संविधान, राष्ट्र–राज्य की विचारधारा और दर्शन की अभिव्यक्ति है। यह इस बारे में बुनियादी मूल्यों को प्रतिबिम्बित करता है, कौन शासन करेगा और किस दिशा में, संविधान उन बुनियादी कानूनों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें केवल संशोधन की असाधारण प्रक्रिया द्वारा आशोधित किया जा सकता है। यह सरकारों के लिए संगठनात्मक ढाँचा प्रदान करता है और उनके कार्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

संविधान यदा–कदा ही सर्वसम्मत होता है, यह भिन्न–भिन्न वैचारिक तत्व ग्रहण करता है और उस समय विद्यमान परस्पर विरोधी दृष्टिकोण ग्रहण करता है। भारत के संविधान के बारे में यह भी सत्य है कि, जो समातवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षवाद जैसे सिद्धांतों की रूपरेखा के अंतर्गत निर्मित विविध विचारों का मूर्त रूप है। आस्टिन के शब्दों में इन विविध सुझावों और विचारों का परिणाम है; "भारतीय संविधान ऐसा प्रलेखन या दस्तावेज है, जो व्यावहारिक और प्रशासनिक ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए सामान्य सिद्धांतों और मानवतावादी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रावधान करता है।" आस्टिन के लिए "भारत के संविधान का सफलतापूर्वक प्रारंभ करने का अभिप्राय है कि भारतीयों ने नियति से पूर्व निश्चित कोई चूक नहीं की है" (आस्टिन, 1966, पृ. 45)। आइए, हम भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं की चर्चा करें।

सभी लिखित लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में, जैसा कि भारत में है, एक प्रस्तावना होती है। ऐसे सभी दृष्टियों में विगत सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की कमियों और पूर्वग्रहों को अस्वीकृत करने और न्यायसंगत, प्रसन्न और सम्मानित भविष्य निर्माण का वचन देने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात् सामाजिक परिवर्तन, संविधान की दृष्टि से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिम्बित की गई है, यह नीचे दी गई हैः

"हम, भारत के लोग, भारत को एक l i .k ÁHkRo& l iUu] lek toknh] èkel&fujis{k] ykdr=kRed x.kjkT; *बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:*

- *सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक* U;k;(
- *विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की* Lor=rk;
- *प्रतिष्ठा और अवसर की* lerk *प्राप्त कराने के लिए; तथा*
- *उन* lce *व्यक्ति की गरिमा,* jk"V dh ,drk vkj v[kMrk lfuf'pr *करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए*

दृढ़संकल्प होकर viuh bl lfoèkku lHkk e *आज तारीख 26 नवंबर, 1949 को* ,rn}kjk bl lfoèkku dk vxhÑr] vfèkfu;fer vkj vkRekfir djr gAß

3-5 Hkkjrh; nf"Vdk.k

रूपांतरण का ऐसा दृष्टिकोण प्रचलित आकांक्षाओं में सम्मिलित है। यह ऐतिहासिक रूप से विकसित होता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का दृष्टिकोण सन् 1776 के स्वतंत्रता के युद्ध से विकसित हुआ था, जो प्रतिस्वरूप अठारहवीं शताब्दी के उदार लोकतांत्रिक परिवेश से उत्पन्न हुआ।

3-5-1 lkekT;okn fojkèkh fojklr

भारत में यह दृष्टिकोण ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष था और विकसित विश्व में उदार लोकतांत्रिक विचारधारा द्वारा पहले व्यक्त हुआ था। यह दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और आर.सी दत्त जैसे लोगों द्वारा सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशी शासन के आलोचकों ने व्यक्त किया था। साम्राज्यवाद का अंत भारत की प्रगति की बुनियादी पूर्व शर्त के रूप में देखा गया था। बीसवीं शताब्दी में ऐसे आलोचकों की वृद्धि स्वतंत्रता आंदोलनों में हुई।

3-5-2 lkekftd U;k; d fy, vknksyu

इस विशाल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ–साथ सामाजिक न्याय के लिए माँग उत्पन्न हुई। ज्योतिबा फूले ने पिछली उन्नीसवीं शताब्दी के सक्रियतावादियों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के सामाजिक सुधार एजेंडा का विस्तार किया।

3-5-3 jk"Vokn dk;Øe

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, भारतीयों के सभी वर्गों को संगठित करने के सामान्य प्रयास द्वारा हुआ। यद्यपि, प्रारंभ में यह अभिजात वर्ग का था। बीसवीं शताब्दी में इसका साम्राज्यवाद विरोधी विजय धीरे–धीरे खुलने लगा। साथ ही इसने न केवल सामुदायिक एकता पर बल दिया बल्कि भारतीय राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय की आवश्यकताओं पर भी बल दिया, भारतीय राष्ट्रवाद इन सभी शक्तियों का परिणाम था।

3-6 jk"Vokn dk;Øe d lkjHkkx d :i e vfèkdkj

मौलिक अधिकारों पर संकल्प जो सन् 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया गया था, वह पहला व्यापक, यद्यपि पूर्ण नहीं था, स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का विवरण था।

3-6-1 lektokn dk ÁHkko

बोलशेविक क्रांति (1917) के बाद साम्राज्यवाद का विचार भारतीयों के विचारों को आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस के अंदर इसके सबसे अधिक समर्थक जवाहरलाल नेहरु थे, परंतु इसने सोवियत राजनीति की सत्तावादी प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया। गाँधीजी ने वर्ग संघर्ष का समाजवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया परंतु सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कार्य किया।

3-6-2 xjhch lq jkgr vkSj ;kstuk

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की स्वीकृति के बाद कई प्रांतीय सरकारों ने गरीब किसानों की सहायता की। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस ने जमीदारी प्रथा के उन्मूलन सहित सुधार के कार्यक्रम अपनाए।

3-6-3 okeiaFkh lewgksa dh Hkwfedk

सन् 1930 के दशक में वामपंथी दल और अन्य समूह, कांग्रेस के अंदर और बाहर बनें। वे समाजवाद और सुधार के प्रबल समर्थक थे। यहाँ तक कि बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी और अखिल–भारतीय लीग का एक वर्ग भी समाजवाद और भूमि सुधार का समर्थक था।

3-6-4 tkfr neu dk fojkèk

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने समाजवाद और भूमि सुधार में विश्वास व्यक्त किया परंतु जाति प्रथा द्वारा दमित लोगों के कल्याण और प्रगति से वे अधिक चिन्तित थे। संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में न्याय के साथ वृद्धि के सिद्धांतों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी।

ckèk Á'u 3-1

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) भारत में सामाजिक रूपांतरण का दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ?

....

....

....

....

....

2) सामाजिक रूपांतरण के दृष्टिकोण पर पहला विस्तृत विवरण क्या था?

....

....

....

....

....

fØ;kdyki 3-1

विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों पर सामाजिक रूपांतरण के दृष्टिकोण के प्रभाव पर मत व्यक्त कीजिए।

....

....

....

....

3-7 oSpkfjd lhek,¡

यद्यपि, इस प्रकार का दृष्टिकोण को प्राप्त करने में दो सीमाएँ थीं:

3-7-1 Hkkjrh; jk"Vªh; dkaxzsl dk J.kh Lo:i

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका भारत की संविधान सभा में प्रभुत्व था, वह एक समाजवादी पार्टी नहीं थी, न तो यह जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए सामाजिक सुधार था। ऐसे विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक चिन्ता के लिए आनुषंगिक थे उनका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्वतंत्रता थी।

3-7-2 jktuhfr ij cy

भारत की संविधान सभा, भारत की शासन व्यवस्था के संविधान के निर्माण में लगी हुई थी। अनिवार्य रूप से उस संविधान को राजनीतिक प्रलेख होना था। वास्तव में, संविधान सभा के दो सदस्य (सैयद हसरत मोहनी, मुस्लिम लीग के सदस्य और के.टी. शाह, एक कांग्रेसी) ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" शब्द समावेशन करने का प्रस्ताव किया था, परंतु प्रारूप समिति ने इस तर्क पर इसको अस्वीकार कर दिया कि संविधान को सामाजिक दर्शन संस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जो कि प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, ने भी संविधान सभा के सदन में वैसा ही सुझाव विचार प्रकट किया था।

3-8 dkaxzsl loZlEefr

संविधान के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पष्ट विचार संक्षेप में निम्न प्रकार थे:

- संसदीय प्रणाली की सरकार;
- राजनीतिक दृष्टि से केन्द्रीकृत परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण संघीय राज्य; और
- गतिशील सामाजिक व्यवस्था।

3-8-1 lalnh; ijaijk

संसदीय सरकार की परंपरा सन् 1919 में मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रवर्तन के समय से ही विकसित हो रहे थे। यद्यपि, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, उदारवादियों ने इसमें भाग लिया था। सन् 1923, में स्वतंत्र पार्टी के माध्यम से कांग्रेस द्वारा उनमें अप्रत्यक्ष सहभागिता की, यद्यपि, स्वतंत्र पार्टी ने कभी भी पद नहीं ग्रहण किया। मुस्लिम लीग का

भी सन् 1919 के सुधारों से वैसा ही अनुभव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वास्तव में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन पद स्वीकार किया। उस समय तक उदारवादी अपना प्रभाव खो चुके थे और अधिकांश कांग्रेस में शामिल हो गए थे। संविधान सभा में बहुत कम सदस्य राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चाहते थे।

3-8-2 l?kokn

संघ का विचार भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ। सन् 1928 में आल पार्टी सम्मेलन ने देश की धार्मिक और भाषायी विविधता को व्यवस्थित करने के लिए सरकार के संघीय रूप का सुझाव दिया। विभाजन ने धार्मिक आधार पर संघवाद के मामले को दुर्बल बना दिया। परंतु कांग्रेस, सन् 1920 से ही भाषायी प्रांतों के लिए वचनबद्ध थी। इसलिए संघीय विचार नहीं छोड़ा गया था।

3-8-3 dY;k.kokn

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन था और जनसमूह के व्यापकतम वर्ग की सहभागिता अपेक्षित थी, जो गरीब, अशिक्षित और पिछड़े लोगों का बना हुआ था। सामूहिक कल्याण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और राजनीतिक नेतृत्व के वर्ग में भिन्न था। जो कि, यहाँ मुख्य वैचारिक अंतर हुए।

3-9 lkekftd&vkfFkZd dk;ZØe dk ÁdVu

आम अनुभूति यह थी कि स्वतंत्रता सामाजिक–आर्थिक समृद्धि का प्रवेश द्वार होगा। सन् 1946 के प्रांतीय विधान सभा चुनावों के लिए पाठ्यचर्या पार्टी के घोषणापत्र में निम्नलिखित वचन दिए गए थे:

उद्योग और कृषि, सामाजिक सेवाएँ और सार्वजनिक उपयोगिताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए तथा तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए।

3-9-1 j.kuhfr

इस प्रयोजन के लिए कांग्रेस ने आवश्यक रणनीति सुझाई, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:

- सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति की योजना बनाना और समन्वयन करना;
- कुछ लोगों के हाथों में धन दौलत का संकेन्द्रण रोकना;
- समाज के लिए हानिकर निहत स्वार्थियों को बढ़ने से रोकना; तथा
- खनिज संसाधनों, यातायात के साधनों और भूमि, उद्योग में और राष्ट्रीय कार्य के अन्य विभागों में उत्पादन और वितरण के प्रमुख तरीकों का सामाजिक नियंत्रण होना।

3-9-2 fof'k"V mÌs';

कांग्रेस के घोषणापत्र में उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- राज्य और किसानों के मध्य – न्यायसंगत प्रतिपूर्ति के भुगतान पर बिचौलियों को हटाने के लिए भूमि का सुधार तत्काल आवश्यक था;

- शैक्षिक अवसरों और स्वास्थ्य सेवाओं का संवर्धन आवश्यक था;
- उद्योगों में कामगारों की दशा का सुधार और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के उन्मूलन के वचन दिए गए थे; और
- पार्टी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भिन्नता की प्रतीक्षा करती है।

3-10 lfoèkku d mÌ';k ij dkxl dk ldYi

यह लोकतांत्रिक समाजवाद की विशिष्टता युक्त व्यापक मानवतावादी और कल्याणवादी कार्यक्रम सोपान–दर–सोपान निश्चित किया गया था। कांग्रेस नेताओं को विदित था कि संविधान मुख्य रूप से राजनीतिक प्रलेख है इसलिए इसे पहले राजनीतिक संरचना का उल्लेख करना चाहिए। इस संरचना की वश्हदतम रूपरेखा संविधान सभा की बैठक होने से बीस दिन पहले 20 नवम्बर 1946 को पारित संविधान के उद्देश्यों पर कांग्रेस संकल्प में स्पष्ट की गई थी।

इस संकल्प के अनुसार, कांग्रेस स्वतंत्र प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य के लिए था, जिसमें सभी शक्तियाँ और प्राधिकार जनता से प्राप्त किए जाते हैं। उसने आगे इच्छा व्यक्त की कि संविधान जिसमें भारत के सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, प्रगति और समान अवसरों का संवर्धन करना निर्धारित किया गया है। यह इस प्राचीन भूमि को विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करने योग्य बनाएगा और विश्व शांति और मानव शक्ति की प्रगति और कल्याण के संवर्धन में अपना पूर्ण योगदान कर सकेगा।

3-11 lfoèkku lHkk dk ßmÌ'; ldYiß

"उद्देश्य संकल्प" जिसे 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरु द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य स्पष्ट किया गया था। इस संकल्प के अनुसार संविधान भारत के सभी लोगों को निम्नलिखित की गारंटी देगाः

- न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
- अवसर की प्रस्थिति की और कानून के समक्ष समानता;
- विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, संघ और कार्य की स्वतंत्रता, एवं कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अध्यधीन; और
- अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों तथा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना।

संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के लगभग तीन वर्षों के दौरान संविधान तैयार किया, जिसमें सामाजिक संविधान के इन उद्देश्यों को प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, लोगों के सुविधावंचित तथा पिछड़े वर्गों के लिए कई विशेष प्रावधानों में संस्थापित करने का प्रयास किया गया। प्रक्रिया संविधान के निर्माण पर ही समाप्त नहीं हुई। संविधान में संशोधन किए गए हैं और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की आशा की गई है।

ckèk Á'u 3-2

fVIi.kh क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

3) सामाजिक रूपांतरण के दृष्टिकोण की उपलब्धि में सीमाओं की पहचान कीजिए। इसने शिक्षा नीतियों को कैसे प्रभावित किया?

....

....

....

....

....

4) भारत सरकार अधिनियम, 1935 से संघवाद के विचार का क्या सम्बन्ध है? संघीय ढाँचे में शिक्षा की प्रस्थिति की चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

....

5) "उद्देश्यों के संकल्प" में उल्लिखित लक्ष्य क्या थे? उनका क्या महत्व है?

....

....

....

....

....

3-12 lajpukRed lhek,¡

संविधान सभा केवल उस संविधान को आकार दे सकती है जिसे सामाजिक या राजनीतिक क्रांति द्वारा लाया गया है। संविधान सभा क्रांति नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त, उदार लोकतांत्रिक संविधान स्वयं आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन प्रदान नहीं कर सकता है। यह केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक ढाँचा प्रदान करता है, न तो यह संविधान सभा की शक्तियों में है और न ही समाजवादी राज्य स्थापित करने की इसका मंशा थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि, संविधान आर्थिक प्रणाली निर्धारित नहीं करता है। परंतु यह कतिपय सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के सृजन की अनुमति दे सकता है। वास्तव में, नेतृत्व द्वारा यह अनुभव किया गया है कि संविधान के सामाजिक उद्देश्य अधूरे रहे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और अन्य ने चेतावनी दी कि यदि यह उद्देश्य शीघ्र प्राप्त नहीं किए गए, संविधान सभा द्वारा निर्मित राजनीतिक मंच स्थायी नहीं रह सकेगा।

3-13 f'k{kk vkSj lkafoèkkfud nf"Vdks.k dk vrj.k

पिछले भागों में, हमने चर्चा की कि भिन्न–भिन्न प्रभावों के अधीन भारतीय संविधान को उपनिवेशी शासन व्यवस्था से अनेकतवादी लोकतंत्र में रूपांतरित किया गया। भारत के संविधान का परिणाम बहुत कठिन था, परतु कृतसंकल्प प्रयास थे, जो देश के अलोकतांत्रिक विगत के अन्याय की जागरूकता से पूरे किए गए। जैसा कि चर्चा की गई है, हमारी शिक्षा प्रणाली अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों में सांविधानिक मूल्यों द्वारा निर्देशित है। स्वतंत्रता के बाद हमारी शिक्षा प्रणाली ने बहुत कुछ किया है। फिर भी हमारी शिक्षा पद्धति के कई पहलू हैं जो अत्यधिक असंतोषकारी हैं। नीचे दिए गए दृष्टांत पर विचार करें।

fny'kkn % ,d n"Vkar vè;;u ¼dsl LVMh½

दिलशाद आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हैदराबाद में मुस्लिम समुदाय की बस्ती "पोलुर" में रहती है। वह परिवार में सबसे छोटी, एकमात्र पुत्री है। वह कुछ घर के सामान सहित एक कमरे के मकान में किराए पर रहती है। उसके माता–पिता धनी किसान की कृषि भूमि में कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं, जो उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं देता है। माता और पिता दोनों निरक्षर है। दिलशाद के भाई उससे काफी बड़े हैं और वे अब विद्यालय नहीं जाते हैं। उसके माता–पिता अपने सबसे छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए इच्छुक हैं। दिलशाद ने निजी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जाने से पहले थोड़े समय के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया।

उसकी माता के अनुसार

"सरकारी विद्यालय में, निजी विद्यालय की भाँति अच्छी तरह से नहीं पढ़ाते हैं। भोजन सुविधा के कारण सकरारी विद्यालयों में बच्चों को भर्ती किया जाता है।"

दिलशाद की माँ भी शिकायत करती है कि, सरकारी विद्यालयों में अध्यापक बच्चों को पीटते हैं। दिलशाद निजी विद्यालय में बहुत प्रसन्न है। यहाँ तक कि वह प्रायः प्रातः जल्दी उठ जाती है और विद्यालय जाने के लिए उत्सुक रहती है। परंतु विद्यालय का खर्चा काफी अधिक है और परिवार उसकी शिक्षा के लिए लम्बे समय तक अपने बड़े लड़के की आय पर निर्भर रहेगा।

दिलशाद की कहानी हमें क्या बताती है? क्या हमारे विद्यालयों में उसकी भाँति शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करने वाले अधिक बच्चे हैं? यह नीतियों में की गई वचनबद्धताओं के बावजूद क्यों है?

शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सहयोगशील लोकतंत्र को और संविधान में संस्थापित मूल्यों को सुदृढ़ करना है (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - NCF, 2005)। इस चुनौती का सामना न केवल शिक्षा नीतियों के मुख्य विषय बनाकर किया जा सकता है, बल्कि पाठ्यचर्या सुधार कर भी किया जा सकता है। पहले हम यह देखेंगे कि शिक्षा नीतियों ने सांविधानिक वचनबद्धता पर कैसे विचार–विमर्श किया। सुलभ, समान और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को संविधान के अनुरूप बनाने के प्रयास विभिन्न शिक्षा आयोगों और नीतियों में प्रतिबिम्बित हुए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सांविधानिक मूल्य अपना ऐसा नागरिक बनाने के लिए प्रत्येक बच्चे के मन में व्यापक होते हैं जो लोकतांत्रिक देशों में अपने उत्तरदायित्वों और कर्त्तव्यों के बारे में जानता है। सामाजिक न्याय सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और ऐतिहासिक संघर्ष के मूल्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति–1986 ने मूल पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 का भाग बनाने की सिफारिश की।

> *राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 पर आधारित होगी जिसमें अन्य घटकों के साथ जो लचीले एवं सामान्य संहिता हो। सामान्य संहिता में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सांविधानिक अनिवार्यताएँ और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक अन्य विषय शामिल होंगे। यह तत्व विषय क्षेत्र से बाहर के होंगे और भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, लिंगों की समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बाधाओं की समाप्ति, छोटा परिवार मानक का पालन और वैज्ञानिक रूचि को प्रोत्साहन जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाएँगे। सभी शैक्षिक कार्यक्रम दृढ़ता के साथ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप होंगे। भारत ने सदा शांति के लिए और राज्यों के मध्य समझदारी, एवं संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में मानने के लिए कार्य किया। शिक्षा के इस विश्व दृष्टिकोण को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए युवा पीढ़ी को अभिप्रेरित करना इस प्राचीन परंपरा के लिए एक सत्य है। इस पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समानता को बढ़ावा देने के लिए न केवल सभी के लिए सुलभता में समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा बल्कि सफलता की स्थितियों में भी आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, सभी की स्वाभाविक समानता की जागरूकता संहिता पाठ्यचर्या के माध्यम से पैदा करनी होगी। प्रयोजन सामाजिक परिवेश और जन्म के माध्यम से सम्प्रेषित पूर्वग्रहों और विसंगतियों को समाप्त करना है।*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986 से पहले शिक्षा आयोग (1964–66) भी स्वतंत्र भारत में शिक्षा के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट था। उसने कुछ ही चुनिंदा के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के प्रति चेतावनी दी। उसने उल्लेख किया कि शिक्षा में समानता और गुणवत्ता को समतावादी समाज के निर्माण में साथ–साथ देखा जाना चाहिए।

वह कहा कीः

> *स्थानीय निवासी विश्वास करते हैं कि शिक्षा, दोनों व्यक्ति के लिए और समाज के लिए आवश्यक रूप से अच्छी हैं और यह प्रगति के लिए आगे भी ले जाएगीं, परंतु जैसे ही गलत स्थान पर प्रयास होगा, हानिकर हो सकती है। परिमात्रात्मक दृष्टि से शिक्षा को, सामाजिक न्याय संवर्धन के लिए या इसे कम करने के लिए संगठित किया जा सकता है। इतिहास, असंख्य ऐसे दृष्टांत दर्शाता है, जहाँ छोटे सामाजिक समूहों और अभिजात वर्ग ने शिक्षा को अपने शासन के विशेषाधिकार के रूप में और अपना आधिपत्य बनाए रखने के अस्त्र के रूप में तथा इन मूल्यों को स्थायी बनाने के लिए शिक्षा का प्रयोग किया है, जिन पर यह रखा गया है। दूसरी ओर, ऐसे कई दृष्टांत हैं जिससे शिक्षा प्रणाली में सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति आई हैं जहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की गई है और शिक्षा को सोच समझ कर अधिकाधिक संभावित प्रतिभा विकसित करने के लिए तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान में इसे काम में लाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। यही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी और भी अधिक सत्य है।*
>
> *(lkzr : शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1964–66)*

हाल ही में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - NCF, 2005 ने नीतियों और योजनाओं के माध्यम से न केवल प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा में असमानताएँ दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है बल्कि अधिगम कार्यों और शैक्षणिक पद्धतियों के डिजाइन और चयन के माध्यम से करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यह उल्लेख करता हैः

मार्गदर्शी सिद्धांत सामाजिक मूल्यों का भूदृश्य प्रदान करता है, जिनके अंतर्गत हम अपने शैक्षिक लक्ष्य स्थापित करते हैं। पहला लोकतंत्र और समानता के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, दूसरों के कल्याण के लिए चिन्ता, मानव प्रतिष्ठा और अधिकारों के लिए सम्मान के प्रति वचनबद्धता है। शिक्षा का लक्ष्य इन मूल्यों के लिए वचनबद्धता का निर्माण करना है, जो कारण और समझ पर आधारित है। इसलिए पाठ्यविवरण का विद्यालय में अनुभव, सम्वाद और निबंध के पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि बच्चों में ऐसी वचनबद्धता का निर्माण हो सके।
(lkr: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - NCF, 2005)

आइए, हम दिलशाद की कहानी पुनः विवेचना करें। ऐसी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त करने में उसकी तरह के बच्चों के पीछे क्या कारण है? सांविधानिक दृष्टिकोण उसके लिए कार्य क्यों नहीं करता है? दिलशाद के माता–पिता गरीब हैं, धनी किसान के लिए काम करते हैं। निरक्षरता और कुपोषण उन्हें गरीबी का चक्र तोड़ने में असमर्थ बनाता है। परंतु वे अपने नियोक्ता अर्थात् किसान के ऋण से बहुत ग्रस्त हैं जो उन्हें अपनी आजीविका निर्वहन के लिए न्यूनतम मजदूरी से कम मजूदरी देता है।

भले ही कानून हैं, जो उन्हें अपने नियोक्ता के आदेश को चुनौती देने का अधिकार देता है परंतु निरक्षर होने के कारण राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का सहारा लेना वे कठिन समझते हैं, जो उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका नियोक्ता, उन क्षेत्र में उच्च जाति का है, जबकि दिलशाद के माता–पिता ताबेदारी वर्ग के हैं, जिसने परंपरागत रूप से काश्तकार के रूप में कार्य किया है।

आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के कारण जो असमान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में संस्थापित हैं, किसान सुनिश्चित कर सकता है कि उसके बच्चे अच्छे निजी विद्यालयों में पढ़ें या निश्चित कर सकें कि उनके बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, जबकि दिलशाद के माता–पिता की भाँति अन्य माता–पिता अपनी निम्न आर्थिक और सामाजिक प्रस्थिति से कोई अन्य विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

समाजों में यह असमानताएँ विद्यालयों में भी प्रायः प्रतिबिम्बित होती हैं। इसका कारण यह है कि विद्यालय अधिक विशाल सामाजिक, आर्थिक संदर्भों के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। इसलिए यह देखना आश्चर्य की बात नहीं है कि विद्यालयों में असमानताएँ वास्तव में और ठोस तरीके में कैसे होती हैं। सरकारी और निजी विद्यालयों में जाने वाले बच्चों का पार्थक्य सामाजिक और आर्थिक कारकों, सामाजिक और सांस्थानिक ढाँचों जैसे जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक दशाओं के साथ–साथ होता है और विद्यालय विकट रूप से जुड़े होते हैं। यथापूर्व स्थिति शक्ति के कारण, गरीब बच्चों और समुदायों के साथ उन बच्चों और समुदायों से भिन्न तरीके में व्यवहार किया जाता है जो ऊँची जाति की पृष्ठभूमि के होते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक परिवर्तन का होना अति आवश्यक है।

दिलशाद की कहानी पर विचार करते हुए कि वह विद्यालय में उदास क्यों थी? हम दिलशाद जैसे बच्चों के प्रोत्साहन और शिक्षण में सफल क्यों नहीं हुए हैं? विद्यालयों में प्रथाओं से जुड़ी हुई कई समस्याएँ हैं जिनपर यहाँ चर्चा करना आवश्यक है।

विद्यालय क्या करता है जिसे दिलशाद जैसे बच्चे दिखाई देते हैं। अधिकांशतः विद्यालय का भौतिक परिवेश उत्साहजनक नहीं होता है। इसमें कोई कुर्सी, मेज, शौचालय, कमरा, पेयजल आदि नहीं होता है। “खेल के मैदान” में पशु चरते हैं। दिलशाद की भाँति जिसमें अनुभव किया कि उसके अध्यापक उससे दुर्व्यवहार करते हैं, सीमांत पृष्ठभूमि के बच्चे विद्यालय और अध्यापकों से असम्बद्ध अनुभव करते हैं। अध्यापक नहीं जानते हैं कि बच्चे कौन हैं। अध्यापक की और छात्रों की पृष्ठभूमि में भी अंतर होता है जो उन्हें उनकी

आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील बनाती हैं।

यदि हम यह देखने के लिए पाठ्यविवरण और शिक्षण के क्षेत्र का परीक्षण करें कि यह सीमांतको के लिए कैसा व्यवहार करता है, तो हम पाते हैं कि पाठ्यविवरण निर्णय "परीक्षा के लिए शिक्षण" पर ध्यान केन्द्रित करता है। शिक्षण छात्रों द्वारा ज्ञान के निर्माण के बदले केवल ज्ञान का सम्प्रेषण होता है, छात्रों के मन में तथ्यों और वस्तुओं के नाम जमा करने के कार्य तक पाठ्यविवरण और शिक्षण सीमित करने के अलावा पाठ्यविवरण विषय उनके जीवन के लिए अपरिचित और असम्बद्ध है।

वास्तविकता होने के लिए सांविधानिक दृष्टि में यह महत्वपूर्ण है कि सुलभ, श्रेष्ठ, समानता और सामाजिक न्याय विद्यालय प्रणाली की विशेषताएँ होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे वास्तविक सफलता अनुभव करें। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक उनका विषयवस्तु, अध्यापन शैली एवं बच्चों को समझते हैं जिनको वे पढ़ाते हैं।

3-14 lkjka'k

संविधान सकारात्मक कानून है जो भविष्य उन्मुखी है। यह देश के भावी कार्यों को निर्देश देता है और इन सब के ऊपर कानून, रीतिरिवाज और विश्वास है। यह लोगों के बहुसंख्या में संविदा भी है। यह आंशिक रूप से प्रत्येक को संतुष्ट करता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक संविधान के लिए दृष्टिकोण स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐसे लक्ष्यों के लिए कोई वचनबद्धता था। संविधान का मुख्य कार्य राजनीतिक है, फिर भी, यह प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का समूह निर्धारित करता है। भारतीय संविधान दोनों का विस्तार से निर्धारित करता है। इसने आगे राज्य के नीति निदेशक तत्व भी सम्मिलित किए हैं।

भारत में शिक्षा प्रणाली की परिभाषा का विस्तार करने और गुणवत्ता वृद्धि करने से प्राप्त शिक्षा में समानता के उद्देश्य से सामाजिक परिवर्तन के सांविधानिक दृष्टिकोण आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। दूसरे शब्दों में, इसका अभिप्राय सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या स्थान को ध्यान में रखे बिना शिक्षा प्रदान करना है। इसे मूर्त रूप देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यविवरण इस तरीके में डिजाइन किया जाए कि भिन्न–भिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से और विविध विशेषताओं के बच्चे विद्यालय में पढ़ सके और सफलता प्राप्त कर सकें। अधिगम कार्यों तथा अध्यापन पद्धतियों के डिजाइन तथा चयन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म में असमानताओं के परिणामतः शिक्षा में असुविधाओं को दूर किया जाता है। यह समस्या समाप्त करने के लिए अकेले नीतियों और कार्यक्रम ही नहीं बल्कि हमारे अध्यापकों, पाठ्यविवरण और शिक्षण पद्धतियों को वांछित सांविधानिक परिवर्तन लाने के लिए अनुक्रिया करना आवश्यक है।

3-15 lanHkZ xzaFk ,oa mi;ksxh iBu lkexzh

अस्टिन, जी. (1966). *दी इंडियन कंस्टीट्यूशनः कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

चौबे, एवं किंकर, एस. (1996). *कॉलोनियलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनलिज्म इन इंडिया.* दिल्लीः बुक लैंड।

चौबे, एवं किंकर, एस. (1973). *कंसीट्यूंट एसम्बेली ऑफ इंडियाः स्प्रिंगबोर्ड ऑफ रिवोलूशन.* नई दिल्लीः पीपुल्स पब्लिशिंग हाउसिंग।

भारत सरकार, (2009). *दी राइट् ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009,* 27 अगस्त 2009, दी गजट ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (संवैधानिक विभाग), भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

कामन, ए. आर. (1985). *एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया.* बाम्बेः सोमइया।

कौल, एवं अन्य (1998), *एजुकेशन डेवलेपमेंट एंड अंडरडेवलेपमेंट.* नई दिल्लीः थाउजेड ऑक्स, खलिफः सेज पब्लिकेशन्स, 1998, पृ. 308।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1964–66). *रिपोर्ट ऑफ दी एजुकेशन कमीशन 1964–66,* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1998). *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 (1992 में संशोधित) नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के साथ,* शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (2005). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ., 2005),* नई दिल्लीः भारत।

नरूला, एस. एवं नाइक, जे.पी. (1974). (छठा संस्करण). *ए स्टूडेंट’स हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया* (*1800–1973*). नई दिल्ली : मैकमिलन इंडिया लिमिटेड।

PROBE, (2000). *पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया.* नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 3।

शाह, जी. (2004). *सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर. सेज पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड,* द्वितीय इनलार्जड संस्करण, (अप्रेल 8, 2004)।

3-16 ckèk Á’uk d mÙkj

1) यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उसके संघर्ष से आगे बढ़ा था जिसे विश्व में विकसित उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।

2) यह दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे और आर.सी दत्त जैसे लोगों द्वारा सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशी शासन के आलोचकों ने व्यक्त किया था।

3) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ग स्वरूप और राजनीति पर बल।

4) संघवाद का विचार भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा शक्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ।

5) मुख्यतया समाज के सभी वर्ग के न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए।